भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 359 का उत्तर

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के विरुद्ध कार्रवाई

359. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द हिन्दुस्तान टाइम्स की दिनांक 31 मार्च, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के निर्माण के कारण उत्तराखंड के चार जिलों में लगभग 1000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षति के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के विरुद्ध की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना के आरंभ होने से पूर्व कोई ईआईए किया है और यदि हां, तो परियोजना के ईआईए प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उन परिवारों को मुआवजा देने की योजना बना रही है जिनके घर उक्त परियोजना के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री सुदामा प्रसाद के अतारांकित प्रश्न सं. 359 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन परियोजना (125 कि.मी.) हिमालय की युवा पर्वतमाला से होकर गुजरती है। इस परियोजना में बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में 105 किलोमीटर मुख्य लाइन सुरंगों का निर्माण शामिल है। अब तक 89 किलोमीटर मुख्य लाइन सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है। परितंत्र और आस-पास कम से कम क्षति हो, इसके लिए सुरंग बनाने का कार्य सभी सावधानियों और नवीनतम तकनीक के साथ किया जा रहा है। बहरहाल, सुरंग निर्माण के दौरान कुछ संरचनाओं को क्षति पहुँचने के कुछ मामले सामने आए हैं।

संरचनाओं को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सभी चार जिलों अर्थात् टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में उप निदेशक/भूविज्ञानी खनन विभाग, एसडीएम, कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) और आरवीएनएल के भूविज्ञानी की समितियां बनाई गई हैं।

समिति द्वारा संरचनाओं को हुए नुकसान के आकलन के आधार पर मुआवज़ा निर्धारित किया गया है। अब तक 628 प्रभावित पक्षों को वितरण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और पर्यावरण शमन एवं प्रबंधन योजना मार्च, 2016 में पूरी की गई थी। आईआईटी रुड़की द्वारा इसकी प्रमाणिक जांच की गई थी। सर्वोत्तम उद्योग पद्धतियों का पालन करते हुए और ईआईए रिपोर्ट में दिए गए प्रभाव मूल्यांकन और शमन उपायों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

*****